न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/185/2015

उनवान

1. शंभू पिता स्व0 नारायण बागरिया निवासी अजीतपुरा तहसील करेडा , जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,करेडा जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, करेडा के
प्रकरण संख्या 81/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.6.2015

अभिभाषक : 1. श्री विनोद तिवाडी , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 20.2.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के दादा जी मांगू बागरिया को साबिक आराजी संख्या 212 में से 3 बीघा 15 बिस्वा एवं साबिक आराजी नम्बर 209 में से 2 बीघा 5

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा भूमि दिनांक 25.2.1971 को आवंटित की गई थी एवं कब्जा सुपुर्द किया गया था। जो नामान्तरकरण संख्या 19 के जरिये वादी के दादा मांगू बागरिया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई। संवत 2024–2027 के राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी का अंकन किया हुआ है। वादी के दादा जी का आवंटन के वक्त से जीवनकाल तक कब्जाकाश्त था। उनकी मृत्यु के उपरान्त वादी के पिता नारायणएवं उनकी मृत्यु के उपरान्त नारायण की पत्नि भूरी एवं पुत्र मोहन की भी लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है। नारायण की एक मात्र जायन्दा संतान एवं दादा मांगू का एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी वादी का वादग्रस्त आराजियात पर आज दिन तक कब्जाकाश्त चला आ रहा है। मांगू बागरिया का सजरा निम्न प्रकार है :–

मांगू

↓

नारायण बागरिया

↓

भूरी पत्नि (फौत) मोहन पुत्र (ला औलाद फौत) शंभु (पुत्र) वादी

2. भू प्रबन्ध ऑपरेशन के बाद की प्रथम रोटेशन जमाबंदी संवत 2033 में बनी एवं जमाबंदी संवत 2033 से 2036 में वादी के दादा मांगू बागरिया का नाम राजस्व रेकार्ड में नवीन नम्बर कायम कर दर्ज किया जाना चाहिये था। जिसे दर्ज नहीं किया गया । साबिक आराजी नम्बर 212 के नवीन आराजी नम्बर 611 एवं साबिक आराजी नम्बर 209 के नवीन आराजी नम्बर 584 कायम किये गये। नवीन जरीब अनुसार 5 बीघा 02 बिस्वा वादी के दादा को आवंटित रकबा उनके नाम दर्ज किया जाना चाहिये था जो नहीं कर नवीन आराजी नम्बर 584 एवं 611 में संयोजित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कर भूमि की किस्म परिवर्तित कर बिलानाम दर्ज कर दिया गया । इस प्रकार का इन्द्राज किये जाने का भू प्रबन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं था। रोटेशन की जमाबंदी में से वादग्रस्त भूमि को बिलानाम दर्ज किया जाता रहा । इसके उपरान्त जरिये नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 30.6.92 द्वारा नवीन आराजी नम्बर 611 का रकबा 80 बीघा भूमि वन विभाग के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इसी प्रकार भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियो द्वारा साबिक आराजी नम्बर 209/8 के नवीन आराजी नम्बर 584 कायम किये गये । उसे भी भू प्रबन्ध के उपरान्त बिलानाम दर्ज कर दिया गया । जो संवत 2038 से 2041 तक राजस्व रेकार्ड में बिलानाम के रूप में रोटेशन से दर्ज किया जाता रहा । उक्त नवीन आराजी नम्बर 584 रकबा 76 बीघा में से कई व्यक्तियों के नाम भूमि का आवंटन किया गया एवं शेष बचा रकबा 40 बीघा रोटेशन की जमाबंदी में बिलानाम दर्ज किया जाता रहा । उक्त शेष रकबे में से भी भूमि का आवंटन आवंटितियें को किया गया । नवीन आराजी नम्बर 584 में से शेष बचा रकबा 25 बीघा जमाबंदी संवत 2050 से 2053 में बंजड किस्म के रूप में दर्ज किया गया । उसके उपरान्त जरिये नामान्तरकरण संख्या 200 दिनांक 18.2.99 को उक्त आराजी नम्बर 584 का शेष सम्पूर्ण रकबा 25 बीघा बिलानाम गैरकाबिल काश्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में दर्ज किया गया जो कि रोटेशन की जमाबंदी से वर्तमान जमाबंदी में बदस्तुर दर्ज किया जाना जारी है। चूंकि वादी के दादा की मृत्यु हो चुकी है एवं उसके दादा का एकमात्र वारिस वादी है जिसे उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने का अधिकार है। उक्त गलत इन्द्राज को वादी को व उसके पिता को अनपढ होने के कारण ज्ञान नहीं हो सका। जब वादी दिनांक 20.

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

12.2013 को वादग्रस्त आराजी जिस पर वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा था। उस पर थोहर लगाने गया तो उपरोक्त आवंटित भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करना चाहा और धमकियॉ दी कि उक्त आराजी तुम्हारे नाम पर दर्ज नहीं है। तब जाकर वादी ने पटवारी से नकल निकलवाई तब जाकर वादग्रस्त भूमि जानकारी हुई । हाल आराजी नम्बर 584 रकबा 25 बीघा एवं हाल आराजी नम्बर 611 रकबा 80 बीघा में से वादी के पिता वादी के पिता स्व0 नारायण बागरिया के बजाय उसके विधिक उत्तराधिकारी/वादी को नवीन रकबे अनुसार 5 बीधा 02 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के लिए राजस्थान सरकार को पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक 24.2. 2014 को प्रेषित कर निवेदन किया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः हाल आराजी नम्बर 584 रकबा 25 बीघा एवं हाल आराजी नम्बर 611 रकबा 80 बीघा में से वादी के पिता वादी के पिता स्व0 नारायण बागरिया के बजाय उसके विधिक उत्तराधिकारी/वादी को 5 बीधा 02 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम अजीतपुरा में वादी के दादा जी मांगू

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बागरिया को साबिक आराजी संख्या 212 में से 3 बीघा 15 बिस्वा एवं साबिक आराजी नम्बर 209 में से 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा भूमि दिनांक 25.2.1971 को आवंटित की गई थी एवं कब्जा सुपुर्द किया गया था। तब से वादी के दादा मांगू बागरिया का कब्जाकाश्त चला आ रहा था उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थी/वादी के पिता नारायण बागरिया का कब्जाकाश्त रहा एवं वे उसका उपयोग उपभोग करते रहे थे। नारायण बागरिया अपीलार्थी/वादी के पिता हैं जिनकी मृत्यु के उपरान्त वादी का आवंटित रकबे पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। नारायण बागरिया की पत्नि भूरी की मृत्यु हो चुकी है एवं नारायण बागरिया के एक पुत्रमोहन भी लाऔलाद फौत हो चुका है। वर्तमान में मांगू बागरिया का एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी वादी ही है। भू प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजी नम्बर 212 के नवीन आराजी नम्बर 611 एवं साबिक आराजी नम्बर 209 के नवीन आराजी नम्बर 584 कायम किये गये। वादी के दादा को आवंटित रकबा उनके नाम दर्ज नहीं कर नवीन आराजी नम्बर 584 एवं 611 में संयोजित कर भूमि की किस्म परिवर्तित कर बिलानाम दर्ज कर दिया गया । जिसे बाद में वन विभाग एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दी गई। जबकि कब्जा वादी का चला आ रहा है। इस बाबत वादी ने वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

6. अपीलार्थी/वादी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया एवं प्रतिवादी का जवाब दावा लिया गया । उसके उपरान्त वाद पत्र साक्ष्य वादी में लंबित था। दिनांक 9.4.2015 को श्रीमती चांदी उर्फ रीछी पत्नि बालू बागरिया व उसके अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर एक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया । जिसे रेकार्ड पर लिया गया । आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.4.2015 नियत की गई। उक्त तारीख पेशी को अधिवक्ता प्रत्यर्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी की प्रति दी गई। उसके उपरान्त पत्रावली आगामी तारीख पेशी 7.5.2015 को पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र नियत की गई। आगामी तारीख पेशी 7–5–2015 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई। दिनांक 11.6.2015 को पत्रावली केम्प कोर्ट अमदला में रखी गई। जिसकी कोई सूचना अपीलार्थी/वादी या उसके अधिवक्ता को नहीं दी गई। उसी दिन अपीलार्थी/वादी का वाद खारिज कर दिया गया । जिससे अपीलार्थी/वादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिल पाया। जिससे अपीलार्थी/वादी अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। अधीनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थी/वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

7. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी ने अपने कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जिससे वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी द्वारा काश्त किया जाना प्रमाणित होता हो। वादग्रस्त भूमि को वन विभाग के नाम दर्ज किये जाने एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने के समय बिलानाम दर्ज रेकार्ड थी। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी/वादी ने वादी के दादा जी मांगू बागरिया को साबिक आराजी संख्या 212 में से 3 बीघा 15 बिस्वा एवं साबिक आराजी नम्बर 209 में से 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा भूमि दिनांक 25.2.1971 को आवंटित किये जाने का कथन किया । भू प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजी नम्बर 212 के नवीन आराजी नम्बर 611 एवं साबिक आराजी नम्बर 209 के नवीन आराजी नम्बर 584 कायम किये गये। नवीन आराजी नम्बर 611 वन विभाग के नाम पर दर्ज है एवं हाल आराजी नम्बर 584 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई है।

9. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र पंजिबद्ध किये जाने के उपरान्त प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसे रेकार्ड पर लिया गया । उसके उपरान्त वाद पत्र साक्ष्य वादी में लंबित था। तारीख पेशी दिनांक 9.4.2015 को श्रीमती चांदी उर्फ रीछी पत्नि बालू बागरिया व उसके अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया । जिसे रेकार्ड पर लिया गया । आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.4.2015 नियत की गई। उक्त तारीख पेशी को अधिवक्ता प्रत्यर्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी की प्रति दी गई। उसके उपरान्त पत्रावली आगामी तारीख पेशी 7.5.2015 को पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र नियत की गई। आगामी तारीख पेशी 7–5–2015 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई। उसके उपरान्त आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.6.2015 को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आदेशिका लिखी गई। उक्त तारीख पेशी नियत किये जाने से पूर्व अपीलार्थी/वादी को किसी प्रकार की सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दी गई। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई सूचना पत्र उपलब्ध नहीं है। प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी के जवाब हेतु लंबित था। उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया । प्रकरण में अपीलार्थी/वादी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही प्रकरण को दिनांक 11.6.2015 को राजस्व केम्प अमदला में रखा जाकर उसी दिनांक को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया।

10. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा आने के उपरान्त तनकियात कायम की जानी चाहिये थी एवं उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवाईज गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की जाकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

11. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.6.2015 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है कि प्रकरण में लंबित प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर तनकियात कायम कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज के आधार पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे । उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.3.2018 को उपस्थित रहें।

12. निर्णय आज दिनांक 20.2.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा